प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(बेसिक),
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

1–मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक),
समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।

2–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: शि0नि0(बे0)/मान्यता/38274-371 /2025–26 दिनांक 10/10/2025

विषयः अशासकीय प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूल की मान्यता के स्थायीकरण के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या–419/79–6–2013–18(20)/91 दिनांक 08 मई 2013 व शासनादेश संख्या–418/79–6–2013–एस(7)/89 दिनांक 08 मई 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक(प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक(जूनियर हाईस्कूल) स्कूल हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता दिये जाने सम्बन्धी संशोधित मानक एवं शर्तें निर्धारित की गयी है।

उक्त शासनादेश के प्रस्तर–13 में मान्यता दिये जाने हेतु निम्नवत प्राविधान है–

"प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिये दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।"

शासनादेश दिनांक 08 मई 2013 में निहित शर्तों के अधीन निजी प्रबन्धतंत्र के अधीन संचालित विद्यालयों को औपबन्धिक मान्यता प्रदान की गयी है।

शासनादेश संख्या–89/अरसठ–3– 2018–2041/2018 दिनांक 11 जनवरी 2019 निर्गत किया गया जिसमें पूर्व में निर्गत मान्यता संबंधी शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश निर्गत किया गया है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश दिनांक 08 मई 2013 की शर्तों के अधीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को शासनादेश दिनांक 08 मई 2013 के प्रस्तर–13 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत जिन विद्यालयों को औपबन्धिक मान्यता प्रदान की गयी है तथा मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं हुआ है तो औपबन्धिक मान्यता प्राप्त होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(प्रताप सिंह बघेल)
शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उ0प्र0 लखनऊ।

पृ0सं0: शि0नि0(बे0)/मान्यता/38274-371 /2025–26 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
2– विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन।
3– महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
4– अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0, प्रयागराज।
5– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, प्रयागराज।

(प्रताप सिंह बघेल)
शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रेषक,

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
मेरठ मण्डल मेरठ

सेवा में,

प्रबन्धक,
अल हिरा पब्लिक जू. हा. स्कूल,
डासना, गाजियाबाद ।

पत्रांक सं0 शि0स0/860–64 /2009–10 दिनाँक 30-6-9

विषय – जूनियर स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता की स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र एवं निरीक्षक वर्ग की आख्या के आधार पर मण्डलीय मान्यता, समिति की बैठक दिनांक 29–6–2009 में लिये गये निर्णयानुसार राजाज्ञा संख्या 646/15–6–97–18 एस (7) 89/शिक्षा (6) अनुभाग लखनऊ दिनाक 13 अगस्त 1997 में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नांकित कतिपय प्रतिबन्धी के साथ आपके विद्यालय को जूनियर हाई स्कूल (कक्षा 6 से 8 तक) स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है।

प्रतिबन्ध :–

1) विद्यालय की अस्थायी मान्यता तब तक चलती रहेगी जब तक कि स्थायी मान्यता की शर्तें पूर्ण कर अस्थायी मान्यता को स्थायी मान्यता मे परिवर्तित नहीं करा ली जाती।
2) प्रबन्धाधिकरण को अपने कर्मचारियों और शिक्षकों को मिनिमम वेजजऐक्ट के तहत चैक द्वारा वेतन का भुगतान करना होगा।
3) विद्यालय में छात्रों के चरित्र निमार्ण से सम्बंधित एवं राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र ध्वज का सम्मान व सर्वधर्म समभाव तथा मानवीय मूल्यों की सम्प्रति के लिये जारी विभिन्न शासनादेशों का पालन अनिवार्य रूप से करवाया जाये।
4) समिति के पंजीकरण का समयानुसार नवीनीकरण कराया जाये।
5) शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल ही शुल्क लिया जायेगा तथा विद्यालयों की समस्त निधियों का लेखा उचित रूप से रखा जायेगा। भवन शुल्क/कैपिटेशन फीस के रूप में कोई धनराशि विद्यार्थियों से लिया जाना वर्जित होगा।
6) मान्यता प्राप्त विद्यालय अपने शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को वही वेतनमान मंहगाई भत्ता देने का जिम्मेदार होगा जो परिषद के समान आर्हता वाले शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को प्राप्त हो रहे होंगे।
7) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना संस्था द्वारा कक्षा अथवा कोई सेक्शन न तो बन्द किया जायेगा और खोला जायेगा न समाप्त किया जायेगा।
8) विद्यालय में शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि होगी, हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जायेगी। विद्यालय में अस्वीकृत पुस्तकों का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
9) विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म तथा जाति के बच्चों का प्रवेश किया जाना अनिवार्य होगा।
10) विद्यालय में समस्त प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाये तथा विभाग से उनका अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

प्रेषक : जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गाजियाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक, अलहिरा पब्लिक स्कूल
डासना गाजियाबाद

पत्रांक : आशु0 / 995-96 / दिनांक : 15-5-4

विषय : जूनियर बेसिक स्तरीय कक्षाओं की ... वीन मान्यता की स्वीकृति।

महोदय / महोदया,

दिनांक 14 मई 2004 ... में आयोजित जिला मान्यता समिति की बैठक में आपके विद्यालय को प्राथमिक स्तर की मान्यता में विशेष प ... स्थिति में मुख्यतः छात्रों के हित को दृष्टिगत करते हुए शैक्षिक सत्र 1-7-03 से 30-6-08 तक प्रा ... त्यात्मक रूप में अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है। आप अनुपालन आख्या 30-6-2008 ... तक निश्चित रूप से प्रतिबन्धों की पूर्ति के उपरान्त भेजा जाना सुनिश्चित करें। मान्यता अवधि समाप्त होने के पश्चात सभी प्रतिबन्धों की पूर्ति करते हुये स्थाई मान्यता हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा। पुनः अस्थाई ... न्यता प्रदान नहीं की जायेगी।

1. पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत स ... ति के पंजीकरण का नवीनीकरण सुनिश्चित किया जाये।
2. अभीष्ट धनराशि सुरक्षित कोष में ... नियोजित कर उसे निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पदनाम में प्रतिश्रुत किया जाये।
3. विद्यालय के नाम निजी भवन हो ... सका पंजीकरण विद्यालय विशेष के नाम से ही इस भवन में निर्धारित माप के हवादार व प्रकाश ... त कक्ष निर्मित हों। शिक्षित कक्षों के अतिरिक्त प्रधानाध्यापक व भण्डार कक्षों की व्यवस्था हो।
4. विभागीय आदेशानुसार कम से कम ... हजार वर्गमीटर की निजी क्रीड़ा स्थल हो जो विद्यालय के नाम पंजीकृत हो व छात्रों के खेलने के लि ... सुलभ हो।
5. अध्यापक / कर्मचारियों की सेवा श ... र्तों में उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (अध्यापकों की भर्ती व सेवा शर्तें) प्रथम संशोधन नि ... यमावली का पालन किया जाये।
6. नियमानुसार सभी अध्यापक प्रशिक्षि ... त हों निम्नहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से पूर्वानुसार प्राप्त करने के उपरान्त ही उसे सेवा से हटाया जाय ... अप्रशिक्षित की नियुक्ति कदापि न की जाये।
7. अध्यापक / कर्मचारियों को बेसिक ... शिक्षा परिषद में नियुक्ति शिक्षक / कर्मचारियों की भाँति ही वेतन दी जाय व अन्य भत्ते जो समय सम ... य पर देय हों दिये जायें।
8. विभाग द्वारा निर्धारित 15.00 (पन्द्रह ... रु0 मात्र) मासिक प्रति छात्र से अधिक शुल्क कदापि न लिया जाये। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार ... का दान चन्दा व कोई अन्य शुल्क कदापि न लिया जाय। प्राप्त धनराशि की विधिवत् रसीद दी जाये।
9. प्राइमरी कक्षाओं के साथ अमान्य क ... क्षाओं का संचालन कदापि न किया जाये।
10. आवश्यकतानुसार विज्ञान क्रीड़ा, शि ... क्षण एवं समाज उपयोगी सामग्री व पुस्तकों की व्यवस्था की जाये।
11. निम्नहस्ताक्षरकर्ता की कार्यालय की ... अनुमति के बिना न कोई अनुभाग बढ़ाया, न ही समाप्त किया जाये।
12. केवल विभाग द्वारा मान्य पाठ पुस्तकें ... ही पढ़ाई जायें।
13. विभागीय नियमों का निर्देशों का परि ... पालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद

पृष्ठ संख्या : आशु0 / / तद् दिनांकित /

प्रतिलिपि उप बेसिक शिक्षा अधिकारी / नगर शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद / हापुड़ / पिलखुवा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद